मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

पत्र संख्याः लाजि0–एम0टी0–21/2025 दिनांकः मई 07, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या दस–डीजी–चार–125(14)/2018/355 दिनांक 10–09–2025 के साथ प्राप्त अपर सचिव–प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी–चार–12(40)/2025 दिनांक 01–09–2025 द्वारा निम्नलिखित आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2025 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदन दिनांक 10–09–2025 के क्रम में **30 अप्रैल, 2026** को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष **दिनांक 01–05–2026** से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ नं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
167	221	980580950	बृजभान	श्री उमाशंकर	झाँसी	2025
168	222	980520707	नरेन्द्र सिंह	ऊदन सिंह	कासगंज	2025
169	223	980751884	राजेश कुमार	श्री सुग्रीव सिंह	बदायूँ	2025
170	224	980750849	धर्मवीर सिंह	साहब सिंह	अलीगढ़	2025
171	225	980440546	कौशल कुमार	धर्म सिंह	27वीं पीएसी सीतापुर	2025
172	226	980751783	मनमोहन सिंह	मनफूल सिंह	अलीगढ़	2025
173	227	980680113	रवेन्द्र सिंह	श्री गंगा सिंह	बदायूँ	2025
174	228	980680256	विजय सिंह	रमेश चन्द्र	बुलन्दशहर	2025

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली–2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरूद्व विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन नही कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति **प्रारूप 'क'** उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नकःस्वघोषणा पत्र का प्रारूप–क

(राम कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक–लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :–

1. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, झॉसी/कासगंज/बदॉयू/अलीगढ़ एवं बुलन्दशहर।
2. सेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10–09–2025 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव–प्रोन्नति, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 01–09–2025 के संदर्भ में।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)——————————————————पुत्र ——————————निवासी——————————थाना——————————जनपद—————————— वर्तमान में(जनपद/इकाई)——————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:————को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0——————————धारा——————————थाना—————————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:——————को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक-

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से क्रास (X) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner